वी.आर. दलाल एवं अन्य

बनाम

योगेन्द्र नारान्जी ठक्कर और अन्य

(क्रिमीनल अपील संख्या 925 वर्ष 2008)

16 मई 2008

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपति)

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 405 और 420 साझेदारी अधिनियम, 1932:

आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए एक भागीदार द्वारा विघटित फर्म के अन्य भागीदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायत-का औचित्य अभिनिर्धारित: उचित नहीं- एक बार साझेदारी विलेख रद्द कर दिया गया था, भागीदारों की ओर से किसी भी गलत कार्य का सवाल नहीं था उत्पन्न नहीं होता - जब फर्म को उसकी स्थापना से ही रद्द कर दिया गया है, तो दावेदार, भागीदार को उसके किसी भी लाभ से वंचित करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा, आपराधिक विश्वासघात के तत्व और धारा 420 भी तत्काल में अनुपस्थित थे। मामला - इन परिस्थितियों में, आरोपी साझेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की

प्रक्रिया का दुरूपयोग है और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में आरोपी साझेदारों की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। फर्म को कायम नहीं रखा जा सकता और अलग नहीं रखा जा सकता।

इस न्यायालय के समक्ष इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अभियुक्त साझेदारों द्वारा कथित तौर पर मिलीभगत से और प्रतिवादी साझेदार की पीठ के पीछे एकमात्र कंपनी के साथ फर्म के विघटन की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना एक फर्म का विघटन किया गया था। उसे फर्म के लाभ से वंचित करना अपराध बनता है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच का विवाद एक दीवानी विवाद है, यदि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।

प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि चूंकि शिकायत याचिका में लगाए गये आरोप एक अपराध हैं, इसलिए इस न्यायालय को दिये गये फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अभिनिर्धारित- 1.1 एक बार जब साझेदारी शुरू नहीं हुई और साझेदारी विलेख रद्द कर दिया गया क्योंकि उस पर कभी कार्यवाही नहीं की

गयी थी, तो अपीलकर्ताओं की ओर से किसी भी गलत कार्य का सवाल ही नहीं उठता। यह कहना एक बात है कि साझेदारों के बीच आपसी विवाद मौजूद है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि एक और फर्म का गठन करना जिसमें दो फर्मों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित नामांकित व्यक्तियों द्वारा एक बाहरी व्यक्ति के साथ किया जाएगा, यह स्वयं ही संकेत देगा। साजिश का कार्य एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि उक्त साझेदारी रद्द कर दी गयी है, तो किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। (पैरा 9 112-एफ और जी)

1.2 यह सच हो सकता है कि यदि न्यायालय को पता चलता है कि पक्षकारों के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का है, तो वह आपराधिक कार्यवाही को आगे बढाने की अनुमति नहीं दे सकता है। लेकिन, कोई भी विधि, इस तरह निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी दिये गये मामले में सिविल मुकदमा और आपराधिक शिकायत दोनों कायम रखने योग्य होंगे, हालांकि दोनों कार्यवाही के लिए वाद कारण एक ही है। (पैरा 12 113-ई और एफ)

1.3 यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ताओं को किसी भी तरह से अपराध करने के लिए दायी नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब नई फर्म को उसकी स्थापना से ही रद्द कर दिया गया हो। यदि नई फर्म ने कोई आय अर्जित नहीं की है, तो दावेदार को उससे वंचित

करने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार, उक्त फर्म का गठन अवैध था या दुर्भावनापूर्ण था, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके कारण प्रतिवादी नंबर 1 को कोई नुकसान नहीं हुआ है। (पैरा 13 112-जी और एच; 114.ए)

2.1 आपराधिक न्यास भंग का पहला घटक, यानी, सौंपना गायब है, वही गठित नहीं होगा।

आपराधिक न्यास भंग, मौजूदा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तत्व भी अनुपस्थित हैं। (पैरा 14 और 15 114-बी और आई)

इंडियन आयल कार्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, और अन्य (2006) 6 एससीसी 736 और सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम राजवीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। 2008 (1) स्केल 331- संदर्भित

2.2 जब कोई कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग पाई जाती है, तो वह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। (पैरा 16 114-एफ)

सनापारेड्डी महीधर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2007 (14) स्केल 321 - संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील की संख्या 925

सीआरएल रिट याचिका संख्या 315/2004 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 13.10.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए सुरेश कुमार जे. पणिक्कर, प्रवीण सातले और नरेश कुमार।

प्रतिवादियों के लिए जतिन ज़वेरी।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. कुर्ला में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 30 कोर्ट की न्यायालय में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक शिकायत याचिका दायर की गयी थी। इसे 2002 के केस नंबर 271/एम के रूप में दर्ज किया गया था। अभियुक्त क्रमांक 1 से 6 तक मैसर्स के भागीदार थे। एन.एम. रायजी और काॅम-जी कंपनी और आरोपी नंबर 7 इसका कर्मचारी था। यहां अपीलकर्ता जिन्हें अभियुक्त संख्या 8 से 13 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मैसर्स नामक एक अन्य फर्म के भागीदार थे। गांधी दलाल और शाह उक्त फर्म को पहले दलाल और शाह के नाम से जाना जाता था। उक्त आरोपियों में से आरोपी नंबर 8 श्री वाई.सी. अमीन की अवधि समाप्त हो गयी है। उपरोक्त में

उल्लिखित शिकायत याचिका में आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साजिश रची ताकि शिकायतकर्ता को उसकी पीठ के पीछे एन.एम. रायजी एंड कंपनी को भंग करके फर्म के लाभ प्राप्त करने से वंचित किया जा सके।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म 'मैसर्स गांधी दलाल और शाह का गठन 01.02.2000 को किया गया था, जिसे शुरूआत से ही रद्द कर दिया गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस पर कार्यवाही नहीं की गयी थी। नाम मैसर्स गांधी दलाल और शाह को भारत के चार्टड अकाउंटेट्स के सामने आत्म समर्पण कर दिया गया था। निर्विवाद रूप से शिकायत याचिका में ही यह स्वीकार किया गया है कि उक्त सी.एम./एस.गांधी दलाल और शाह अब अस्तित्व में नहीं हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि साझेदारी के मूल विलेख दिनांक 10.02.2001 पर महेन्द्र ठक्कर नामक व्यक्ति ने भी हस्ताक्षर किये थे। उक्त साझेदारी को रद्द करने के संबंधी में यह आरोप लगाया गया है।

> शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने बेईमानीपूर्वक आशय से विघटन का कोई विलेख तैयार नहीं किया है जो साझेदारी के किसी भी विलेख को रद्द करने के लिए अनिवार्य है। केवल कागज के टुकड़े पर विलेख को रद्द करने से विधि की दृष्टि में कोई मतलब नहीं है और यह गुमराह करने वाला है

लेकिन विधि में साझेदारी का विलेख तब तक लागू रहेगा जब तक कि विघटन के विलेख द्वारा इसे भंग नहीं कर दिया जाता है। अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के साथ फिर से मिथ्या अपदेशन करके धोखाधड़ी की है कि उन्होंने साझेदारी के विलेख को रद्द कर दिया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टड अकांउट टाइम्स के साथ धोखा कारित करने के लिए मिथ्या दस्तावेज पेश किये हैं।

4. यहां अपीलकर्ताओं की भूमिका साजिशकर्ताओं की बताई गयी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि-

"आरोपी व्यक्तियों ने बौद्धिक रणनीति अपनाकर शिकायकर्ता को उक्त फर्म से बाहर निकालने के इरादे से एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची, जो कि आरोपियों के आचरण और कृत्य से स्पष्ट है। शिकायतकर्ता उक्त कंपनी की समृद्धि के लिए अपना पूरा समय लगा रहा है। फर्म और उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य व्यावसायिक समुदायों के बीच उक्त फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा और सद्भावना बनाने में लायन शेयर का योगदान दिया है, शिकायतकर्ता नहीं है फर्म की आय पर नियंत्रण रखना। शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी का हिसाब किताब देने की मांग के बावजूद आरोपी ऐसा करने में

विफल रहे और उपेक्षा की, इसलिए शिकायतकर्ता को फिलहाल आरोपी व्यक्तियों द्वारा गबन की गयी सही राशि की जानकारी नहीं है। शिकायकर्ता का कहना है कि यह न केवल दुरूपयोग है बल्कि यह शिकायकर्ता की मूल्यवान संपत्ति की भी चोरी है।''

5. फर्म मैसर्स. एन.एम. रायजी एंड कंपनी चार्टड अकाउंटेट की एक फर्म है। कुछ व्यवसाय कथित तौर पर स्थानांतरित कर दिये गये थे। ऐसा कहा गया है कि आरोपियों ने फर्म की आय और साख के संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया है। सी शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त फर्म से उसकी आय उक्त फर्म के लाभ से 5 प्रतिशत होती, जिसका अनुमान 30 प्रतिशत था, जहां से उसे कथित तौर पर वंचित कर दिया गया है, क्योंकि उसे नई फर्म में भागीदार नहीं बनाया गया था।

6. अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे 2004 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 315 के रूप में चिन्हित किया गया था। अभियुक्त संख्या 1 से 7 द्वारा एक अलग रिट याचिका भी दायर की गयी थी जिसे 2003 की रिट याचिका संख्या 542 के रूप में चिन्हित किया गया था। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गयी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

''याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री पणिकर इस बात पर विवाद नहीं करते कि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। हालांकि, उनका कहना है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला थोड़ा अलग स्तर पर खड़ा है, हालांकि वे एक ही आपराधिक मामले में आरोपी हैं। जहां तक उनका सवाल है, वे मैसर्स के भागीदार नहीं हैं। एन.एम. रायजी एंड कंपनी । यह एन.एम. रायजी एवं कंपनी एक साझेदारी फर्म थी जिसमें सभी आरोपी 1 से 7 और शिकायतकर्ता भागीदार थे। याचिकाकर्ता अलग-अलग फर्म के भागीदार हैं, जिसे ''दलाल एंड शाह'' और बाद में ''मैसर्स गांधी दलाल एंड शाह'' के नाम से जाना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, अन्य रिट याचिका में पारित आदेश पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। ये वे उन व्यक्तियों के बीच विवाद हैं, जो भागीदार हैं। फर्म के व्यवसाय का प्रशासन और प्रबंधन। यह पूरी तरह से दीवानी विवाद है। श्री पणिकर के अनुसार आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।''

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुरेश कुमार जे. पणिक्कर का कहना था कि पक्षों के बीच का विवाद एक दीवानी विवाद

है, यदि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।

8. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जतिन जवेरी का तर्क होगा कि शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप एक अपराध हैं। इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

9. विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या शिकायत याचिका को उसका अंकित मूल्य दिया गया है और पूरी तरह से सही माना गया है तो यह एक अपराध है।

मैसर्स गांधी दलाल और शाह ने माना कि 01.12.2000 को एक साझेदारी फर्म के रूप में गठित किया गया था। उक्त साझेदारी फर्म का गठन इस आधार पर किया गया था कि मैसर्स के चार साझेदार। एन.एम. रायजी एंड कंपनी दलाल और शाह फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, उसमें एक बाहरी व्यक्ति भी शामिल था। एक बार जब उक्त साझेदारी आगे नहीं बढ़ी और साझेदारी विलेख रद्द कर दिया गया क्योंकि उस पर कभी कार्यवाही नहीं की गयी थी, तो अपीलकर्ताओं की ओर से किसी भी गलत कार्य का सवाल ही नहीं उठता। यह कहना एक बात है कि साझेदारों के बीच आपसी विवाद मौजूद है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि एक और फर्म का गठन करना जिसमें दो फर्मों का

प्रतिनिधित्व उनके संबंधित नामांकित व्यक्तियों द्वारा एक बाहरी व्यक्ति के साथ किया जाएगा, यह अपने आप में एक कृत्य का संकेत देगा। षड्यंत्र। एक बार जब इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि उक्त साझेदारी रद्द कर दी गयी है, तो किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

10. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अरूण आर. गांधी, महेन्द्र एन. ठक्कर द्वारा संबोधित दिनांक 28.02.2001 के एक पत्र की ओर आकर्षित किया है। जयेश एम.गांधी, विनय डी. बालसे और सुजल ए. शाह से लेकर ए. योगेन्द्र एन. ठक्कर तक, जिसमें घटनाओं का एक क्रम इस प्रकार बताया गया था:

> "(3) आपको 7 फरवरी, 2001 का पत्र मिलने पर। श्री अरूण गांधी ने 9 और 10 फरवरी, 2001 को श्री महेन्द्र ठक्कर के साथ इस मामले पर चर्चा की थी, जिन्होंने बी को सूचित किया था कि श्री अरूण गांधी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और यह कि आपके साथ बैठक करके सब कुछ सुलझा लिया जाएगा और हमें (गांधी दलाल और शाह के) पार्टनरशिप डीड पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उस आधार पर, उक्त पार्टनरशिप डीड पर 10 फरवरी, 2001 को हस्ताक्षर किये गये थे। पांच

हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा। श्री महेन्द्र ठक्कर कर सकते थे उस दिन हस्ताक्षर न करें क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम में भाग लेना था।''

यह पत्र हमें कहीं नहीं ले जाता है। यह केवल उस आंतरिक विवाद को दर्शाता है जिसके कारण एक नई फर्म शुरू करने की अवधारणा को त्यागना पड़ा।

11. श्री पणिक्कर ने उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्य (2005) 10 एस सी सी 336, में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि जहां विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, वह धारा 420 के तहत अपराध है या भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी बनाई गयी नहीं कही जा सकता।

12. यह सच हो सकता है कि यदि न्यायालय को पता चलता है कि पक्षों के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का है, तो वह आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकती है। लेकिन, हमारी राय में, किसी भी विधि में को इस तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी दिये गये मामले में दीवानी वाद और आपराधिक शिकायत दोनों कायम रखने योग्य होंगे, हालांकि दोनों कार्यवाही के लिए कार्यवाही का कारण एक ही है।

13. हालांकि, हम इस मामले में संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ताओं को किसी भी तरह से अपराध करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जब नई फर्म को उसकी स्थापना से ही रद्द कर दिया गया हो। यदि नई फर्म ने कोई आय अर्जित नहीं की है, तो दावेदार को उससे वंचित करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या उक्त फर्म का गठन किया गया है, अवैध या दुर्भावनापूर्ण था, इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कारण प्रतिवादी नंबर 1 को कोई नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

14. हम देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के संदर्भ में अपराध के गठन के संबंध में, इस न्यायालय ने बिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एस सी सी 736 में माना है कि जहां आपराधिक न्यास भंग का पहला घटक, यानी, न्यस्त करना गायब है, यह आपराधिक न्यास भंग नहीं होगा।

धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्वों के संबंध में, यह कहा गया था:

> "(i) किसी व्यक्ति को झूंठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या अन्य कार्यवाही या चूक द्वारा उस व्यक्ति को धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करना कि या तो कोई संपत्ति दे दे या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाये रखने के लिए सहमति दे दे

या जान बूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने या करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करता या नहीं करता यदि उसे धोखा नहीं दिया गया होता और कौन सा कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या नुकसान पहुंचाती है या होने की संभावना है।''

15. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 की उपरोक्त सामग्री भी तत्काल मामले में अनुपस्थित है। ख् सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम राजवीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य भी देखें। 2008 (1) स्केल 331.

16. जब कोई कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग पाई जाती है, तो यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। उक्त प्रयोजन हेतु मामले के तथ्य पर गौर किया जा सकता है। ऐसा हाल ही में सनापारेड्डी महीधर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ख्2007 (14) स्केल 321, मामले में किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों को ध्यान में रखते हुये, यह कहा गया था:

"हमारा विचार है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, सीसी नंबर 240/2002 की कार्यवाही जारी रहेगी तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा। यह विवाद में नहीं है कि शादी के बाद, शिरीषा भवानी अपीलकर्ता नंबर 1 के साथ डेढ महीने से भी कम समय तक (आठ दिन हैदराबाद में और लगभग तीस दिन न्यू जर्सी में) रहीं। यह भी विवाद में नहीं है कि उनका प्रबंधन न्यू जर्सी के सुपीरियर कोर्ट द्वारा डिक्री दिनांक 15.12.1999 द्वारा भंग कर दिया गया था। यह नहीं दर्शाया गया है कि शिरीशा भवानी ने तलाक के फैसले को चुनौती दी है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने 2000 में श्री बैंकट पुस्कर से शादी की और दूसरी शादी से उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने न्यू जर्सी के सुपीरियर कोर्ट में दिनांक 28.12.1999 को हलफनामा पेश करके दहेज की सभी वस्तुएं (आभूषण सहित) भी प्राप्त की। आज तक अपीलकर्ता नंबर 1 और शिरीशा भवानी की शादी को लगभग नौ साल और उसकी दूसरी शादी को सात साल हो चुके हैं। इसलिए, पृष्ठ 0086 इस विलंबित चरण में, सीसी संख्या 240/2022 में कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। बल्कि, यह अपीलकर्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे शिरीशा भवानी के लिए

सरासर उत्पीड़न होगा, यदि उन्हें 1998-1999 में कथित रूप से किये गये अपराध के संबंध में साक्ष्य देने के लिए भारत आने की आवश्यकता होती है। यह भी अत्यंत संदिग्ध है कि क्या भारत सरकार इतना लंबा समय बीत जाने के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के संदर्भ में मंजूरी देगी।''

17. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बहाल नहीं रखा जा सकता। इसे अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये सम्मन को रद्द किया जाता है।

एस.के.एस. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नरेंद्र मीना (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।